

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 21 मई, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में टी.एस.पी. के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र-चकराता में निनूस मोटर मार्ग के किमी. 3 में सुरक्षा दीवार का कार्य (विस्तृत आगणन) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा विषयगत कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन, जिसकी लागत ₹ 4.04 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 2.68 लाख (रुपये दो लाख अड़सठ हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु ₹ 0.10 लाख (रुपये दस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (i) विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- (ii) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।
- (iii) प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (iv) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
- (v) निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- (vi) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
- (vii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- (viii) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- (ix) विषयगत कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

- (x) स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
- (xi) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2022 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्य) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।
- (xii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-31, लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337- सड़क निर्माण कार्य-02 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा।
- (3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 39/XXVII(2)/2021 दिनांक 19 मई, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(रमेश कुमार सुधांशु)
प्रमुख सचिव

संख्या- /III(2)/21-30(प्रा.आ.)/2017TC तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, मा.मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
9. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चकराता (देहरादून)।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2021 - 2022)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -1384/III(2)/21-30(P.E.)2017TC
 अनुदान संख्या-031

आवंटन आई डी-S21050310031
 आवंटन पत्र दिनांक-21-MAY-2021

लेखा शीर्षक

5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत
 परिव्यय

04-District and other Roads

337-सड़क निर्माण कार्य
 00-0

02-नया निर्माण कार्य

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	2	0	0
मानक मद का नाम					पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग				
53-वृहद निर्माण					40000	10000	0	50000				
योग					40000	10000	0	50000				

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.10,000 (Rupees Ten Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
 "नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

Phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: eicpwduk@nic.in



प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पु0सं0:- 468 /20 याता0'क'/21

दिनांक- 07-6-21

1-क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

2-अधीक्षण अभियन्ता, 09 वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।

3-अधिशाली अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, चकराता।

4-अधिशाली अभियन्ता, आई0टी0 सैल प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय।

5- कनिष्ठ अभियन्ता (प्रावधिक)/बजट वर्ग प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय।

वरिष्ठ प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय
 28/5/21